


१४७  
२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अहम हाजरी अहम पत्रकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल दफतर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
दंतारामगढ़